सं० नम्बर.....किस्म..... .....उनवान.....

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---|---|
| | 13/5 पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं प्रकरण के सायल व सायल वकील को बार-बार आवाज लगाये जाने के बावजूद भी सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं हुए। इससे जाहिर है कि प्रकरण को सायल व सायल वकील को आगे चलाये रखने के लिए नहीं ले रहे हैं। अतः दि० 27/2024 ए० ए० विमलेश पत्नी० बनाम रामोदेवी पत्नी० आदम वैरही व अहमद हुसैन के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बरात से कम करते हुए डाल्फ दफ्तर की जावे। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:03 IST
Reason: SelfAttested